न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 222 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/238)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 15.12.2021

1. श्रीमती रामकन्या बाई पत्नि स्व. मदनलाल कल (महाजन), निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सुनिल कुमार कल – अपीलांट की ओर से पुत्र जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी
2. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या
क्रमांक / राजस्व / साप्रआ / 12–6(9)4 / 648 दिनांक 19.04.2014

निर्णय

दिनांक 15.12.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक / साप्रआ / 12–6(9) दिनांक 19.04.2004 के विरूद्ध दिनांक 09.11.2015 को न्यायालय राजस्व

अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जीतावल, पटवार हल्का चिकसी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 89 रकबा 28.35 हैक्टेयर बिलानाम सरकार (बंजड पहाड) राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर उक्त भूमि में से अपीलांट के नाम खनन पट्ट एम एल 1/1991 खनन विभाग से स्वीकृत होकर अपीलांट की माईनिंग लीज भूमि है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक/साप्रआ/12–6(9) दिनांक 19.04.2004 से अपीलांट को सूचना दिये बगैर बिलानाम भूमि का संपूर्ण रकबा बिलानाम से चरनोट (चारागाह) दर्ज कर दिये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अपीलांट का पुत्र श्री सुनिल कुमार कल, जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.11.2021 को सुनी गई।

अपीलांट की ओर से अपीलांट का पुत्र परिये पॉवर ऑफ अर्टोनी ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्ष 1997 में आराजी नम्बर 89 में खनन कार्य हेतु 22 हैक्टेयर भूमि खनन कार्य हेतु अनापत्ति दे रखी थी तथा खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर किराया जमा कराया जा रहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट बनाये बगैर तथा अपीलांट को सुने बिना भूमि का बिलानाम से चारागाह का आदेश पारित किया, जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी परंतु उक्त आदेश से उसका हित प्रभावीत होने से धारा 96 जाप्ता दीवानी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के साथ अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट्स राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 19.04.2014 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम दफा 5 मयाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश दिनांक 19.04.2004 के आदेश के समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रमाणित नहीं है तथा उक्त निर्णय की पूर्व जानकारी नहीं होने एवं जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 02.11.2015 को होना प्रकट आता है, तद्नुसार आदेश की पूर्व जानकारी नहीं होने, अखण्डित शपथ–पत्र एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाती है।

अब हम अपीलाण्ट के दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.04.2004 से ग्राम जीतावल की आराजी नं. 89 रकबा 28.35 हैक्टेयर को चारागाह घोषित किया है एवं उक्त भूमि को चारागाह घोषित करने के लिए पटवारी की एक रिपोर्ट जिसमें सिर्फ यह वर्णित है कि 10 बीघा से अधिक की भूमियों की सूची निम्नानुसार है एवं इस आधार पर उक्त भूमि को चारागाह घोषित कर दिया गया है। इसके विपरीत अपीलाण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. एवं दौराने बहस जो प्रमाणित दस्तावेज पेश किये हैं, वे सुसंगत होने से रेकर्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा दी जाती है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 1437 दिनांक 10.11.1997 जो इस न्यायालय की पत्रावली के पृष्ट संख्या 18 पर उपलब्ध है, तद्नुसार रामकन्या अपीलाण्ट के पति मदनलाल जो ग्राम जीतावल की आराजी नं. 89 में से 22 हैक्टेयर भूमि के लिए अनापत्ति जारी की है। दिनांक 12.07.2016 को अपीलाण्ट के नाम जिला स्तरीय पर्यावरण इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 394 दिनांक 12.07.2016 के क्रम संख्या 4 पर 5 हैक्टेयर भूमि के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस स्वीकृति जारी की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा दस्तावेजात से यह भी स्पष्ट होता हे कि सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक 436 दिनांक 18.02.2008 द्वारा यह वर्णित किया है कि श्री मदनलाल अपीलाण्ट के पति के नाम ग्राम जीतावल में दिनांक 14.02.1997 को एक खनिज संविदा का निष्पादन होकर खनन पट्टा 01.12.1997 से 20 वर्ष के लिए प्रभावी हुआ। उक्त खनन पट्टे में से 5 हैक्टेयर क्षेत्र रखते हुए आंशिक अध्यर्पण होकर पूरक संविदा का निष्पादन 03.08.2000 को हुआ। पट्टेधारी मदनलाल का स्वर्गवास 20.09.2000 को हो जाने से उसकी पत्नी रामकन्या बाई का खनन पट्टा उनके नाम से करने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.01.2002 को प्रस्तुत किया एवं उक्त नामान्तकरण रामकन्या बाई अपीलाण्ट के पक्ष मं स्वीकृत होकर पूरक संविदा

निष्पादन दिनांक 07.02.2008 को किया गया। उक्त दिनांक 07.02.2008 की पूरक संविदा भी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी। अपीलाण्ट द्वारा खनन लीज का नक्शा भी प्रस्तुत किया है जिसमें आराजी नं. 89 ग्राम जीतावल में ही खनन क्षेत्र चिन्हित है। खनन लीज एम.एल. नं. 1/91 के सीमांकन रिपोर्ट भी एम.एल. नं. 1/91 आराजी नं. 89 में ही स्थित होने के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेड़ा के पत्रांक– सखअ/निम्बा/सीसी–1/एमएल 1/1991/1241–1243 दिनांक 26.02.2015 प्रस्तुत किया है जिसमें रामकन्या बाई को सूचित किया गया है कि उनके पक्ष में धारित खनन पट्टे की अवधि दिनांक 30.10.2017 तक वैध थी एवं अध्यादेश 2015 की धारा 8 ए का समावेश के बाद उक्त पट्टे की अवधि दिनांक 30.11.2047 तक बढ़ गयी है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि रेकर्ड अनुसार वर्ष 1997 में अपीलाण्ट के पति के नाम ग्राम जीतावल की आराजी नं. 89 रकबा 22 हैक्टेयर हेतु जिला कलक्टर द्वारा अनापत्ति जारी की गयी एवं परिणामस्वरूप खनन लीज संख्या 1/91 का निष्पादन दिनांक 14.02.1997 को हुआ एवं खनन पट्टा 01.12.1997 से 20 वर्ष के लिए प्रभावी हुआ, अर्थात् खनन पट्टा वर्ष 2017 तक प्रभावी था परन्तु उक्त खनन क्षेत्र का अंकन राजस्व रेकर्ड में नहीं किया गया एवं संभवतया इसी त्रुटि के कारण पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा ग्राम जीतावल की आराजी सं. 89 के सम्पूर्ण रकबे को बिलानाम से चारागाह घोषित कर दिया गया। हालांकि यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पति मदनलाल को जो खनन पट्टा जारी हुआ, उसका नामान्तकरण दिनांक 18.02.2008 को पत्रांक 436 से करते समय उक्त खनन पट्टे में 5 हैक्टेयर क्षेत्र ही सीमित कर दिया गया, अर्थात् 22 हैक्टेयर की मूल अनापत्ति थी परन्तु

पश्चात्वर्ती रूप से उक्त पट्टा 5 हैक्टेयर ही सीमित रहा एवं दिनांक 07.02.2008 को उक्त नामान्तकरण के साथ पूरक संविदा का निष्पादन एम.एल.नं. 1/91 के रूप में हुआ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.04.2004 में ग्राम जीतावल की विवादित आराजी नं. 89 के कुछ क्षेत्र पर वैध खनन पट्टे के कारण उसके अधिकारिता रखता था, तद्नुसार अपीलाण्ट उक्त आदेश से आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार प्रतीत होता है एवं तद्नुसार अपीलाण्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

हमारे द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन में किये गये विवरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि बाबत् वर्ष 1997 में जिला कलक्टर स्वयं द्वारा अनापत्ति जारी की गयी एवं उक्त अनापत्ति के बाद खनन पट्टा संख्या 1/91 दिनांक 01.12.1997 से अपीलाण्ट के पति के नाम जारी हुआ जो कालांतर में पति के देहावसान के बाद रामकन्या अपीलाण्ट के नाम दिनांक 18.02.2008 से नामान्तरित होकर पूरक एम.एल. नं. 1/91 दिनांक 07.02.08 को निष्पादित हुई एवं खनन पट्टे के पूर्व क्षेत्रफल के स्थान पर आराजी नं. 89 का 5 हैक्टेयर ही सीमित कर दिया गया एवं सहायक खनि अभियन्ता निम्बाहेड़ा के पत्रांक–एम.एल1/91 दिनांक 26.02.15 से एम.एम.डी.आर. अध्यादेश की धारा 8–ए के तहत उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 30.11.2047 तक बढ़ा दी गई।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट होता है कि ग्राम जीतावल की आराजी नं. 89 रकबा 28.35 हैक्टेयर में से वर्तमान एवं आदेश जारी करते समय भी अपीलाण्ट अपने पति के वैध पट्टे के आधार पर नामान्तकरण से वैध पट्टेधारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर पटवारी की अधूरी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम जीतावल की आराजी नं. 89 रकबा 28.35 सम्पूर्ण को

बिलानाम से चारागाह घोषित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया अनुचित है। हम इस स्तर पर यह उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम जीतावल की आराजी नं. 89 में अपीलाण्ट द्वारा धारित एम. एल. नं. 1/91 में आराजी नं. 89 के आने वाले क्षेत्रफल की हद तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2004 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों एवं खनिज विभाग को संस्थित कर प्रकरण की विधिवत् सुनवाई कर आराजी नं. 89 में बवक्त आवंटन, खनन पट्टे में स्थित वास्तविक खनन क्षेत्र एवं उसकी वास्तविक अवस्थिति का आंकलन/जांच करवाकर एवं वर्तमान प्रचलित नियमों के तहत अपीलाण्ट के पास उपलब्ध खनन पट्टे एवं मौके की जांच करवाकर उक्त आदेश में यथावांछित संशोधन करें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर